तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहका हुक्म में
3.8.21	वकील पक्षकारान उपस्थित है। वकील प्रार्थी ने फर्द दस्तावेजों की सूची के साथ दस्तावेज पेश किये। शामिल फाईल किये गए। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दि० 10.8.21 को पेश हो। [illegible]	
10/8/21	वकील पक्षकारान उपस्थित है। वकील प्रार्थी ने फर्द दस्तावेजों की सूची के साथ दस्तावेज पेश किये जिनको शामिल फाईल किया गया। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दि० 24/8/21 को पेश हो। [illegible]	
२४.8.21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० है। वकील प्रार्थी ने फर्द दस्तावेजों की सूची के साथ दस्तावेज पेश किए। वकील प्रार्थी की ओर से विभिन्न न्यायालयों की RKD अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पेश की। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि भूमि खसरा सं. 309/275 जो वर्तमान में गलत तरमीम में प्रार्थी के खातेदारी भूमि बता रखी है एवं प्रार्थना पत्र के चरण सं. 2 मे वर्णित समस्त भूमि खसरा सं. 182, 183, 184/275 की भूमि पर रिसिवर नियुक्त करने की कृपा करें। अपने जवाब में प्रत्यार्थीगण संख्या 01 लगायत 04 की ओर से वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि राजस्व नक्शे में जो तरमीम राजस्व विभाग के द्वारा की गई है वह तरमीम पूर्ण वैधानिक एवं	

[illegible]
उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नियमानुसार मौके स्थिति के अनुरूप की गई है। ग्राम कल्याणी खेड़ा एवं ग्राम हीरापुर पटवार मण्डल कुम्हारिया के पृथक्-पृथक् राजस्व गांव है। राजस्व अभिलेखों मे की गई तरमीम मे किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। यह कि प्रश्नगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में पूर्व मे ही R.A.A. व राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण विचाराधीन है। उक्त विचाराधीन अपीलों / रिवीजन आदि के महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया है जिससे भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज, प्रस्तुत उच्च न्यायालय की RRD आदि का अवलोकन किया। बहस उभयपक्षकारान अभिभाषकगण सुनी। वकील अप्रार्थी द्वारा दिये गए तर्कों से यह स्पष्ट होता है कि विवादित खसरे अलग-अलग राजस्व गांवों से सम्बन्धित है। विवाद भूमि खसरों से सम्बन्धित न होकर सीमा निर्धारण का है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वास्ते नियुक्त किये जाने रिसीवर सारहीन प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहें। [signature] उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ (बून्दी)	